न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 10.05.2025

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 35 / 2025
निर्णय दिनांक : 10.05.2025
जीसीएमएस संख्या– 2025 / 78 दायर दिनांक – 12.03.2025

सोकत पुत्र चान्द खां जाति इलाहा / इलाही(दाई–माई)निवारी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–
1. प्राथी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिस्सु उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सोकत पुत्र चांद खां निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का स्थाई निवासी है जिनके रोही ग्राम कानूता खेत खाता संख्या 121 के खसरा संख्या 745 / 109 रकबा 4.6786 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शौकतअली पुत्र चान्दा दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सोकत पुत्र चांद खां दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम शौकतअली पुत्र चान्दा दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तोवजों में नाम सोकत पुत्र चान्द खां दर्ज है। शौकतअली व सोकत दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सोकत पुत्र चान्द खां किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति, जनाधार कार्ड की छायाप्रति आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम सोकत पुत्र चान्द खां अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 121 के खसरा संख्या 745/109 रकबा 4.6786 हैक्टेयर वाके रोही कानूता तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार शोकतअली पुत्र चान्द जाति इलाहा/इलाही(दाई–माई) निवासी कानूता खातेदार के स्थान पर सोकत पुत्र चान्द खां जाति इलाहा/इलाही(दाई–माई) निवासी कानूता खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़